

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प. 7(1)वित्त/कर/2018

जयपुर, दिनांक

03 JUN 2019

:- संशोधित आज्ञा :-

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 25.04.2019 में क्रम संख्या 02 पर अंकित श्री चेताराम जाटव का पदनाम "उपायुक्त" के स्थान पर पदनाम "अतिरिक्त आयुक्त" एवं क्रम संख्या 09 पर अंकित श्री गिरधर गोपाल सिंघानिया का पद नाम "अरिक्त आयुक्त (सदस्य, राजस्थान कर बोर्ड)" के स्थान पर पदनाम "रजिस्ट्रार, कर बोर्ड" पढा जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से




(बिष्णु चरण मल्लिक)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. ~~तकनीकी~~ निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. संबंधित अधिकारीगण द्वारा:- आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग।
5. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव